रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2128] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2018/ज्येष्ठ 17, 1940
No. 2128] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2018/JYAISTHA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 जून, 2018

सं. 10/2015–2020

विषय : विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 6.08 (ख) में संशोधन–के संबंध में।

का. आ. 2348(अ.).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

1. मौजूदा पैरा 6.08(ख) निम्नानुसार है:

साफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए, डीटीए में किसी भी रूप में बिक्री ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और/अथवा अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

2. पैरा 6.08 (ख) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

साफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए, डीटीए में किसी भी रूप में बिक्री ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और/अथवा अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। **तथापि, जीएसटी के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 9988 और 9989 के तहत वर्गीकृत किन्तु वस्तुओं के विनिर्माण के रूप में एलओपी/विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.31 के तहत शामिल सेवाओं के लिए डीटीए में बिक्री**

उपर्युक्त पैरा 6.08 (क) के अधीन कवर होती रहेगी। डीटीए मंजूरी के समय जीएसटी वर्गीकरण के अनुसार लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर लागू होंगे।

इस अधिसूचना का प्रभावः शीर्ष 9988 और 9989 जीएसटी के अंतर्गत वर्गीकृत कतिपय सेवाओं के लिए डीटीए में बिक्री विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 (क) के अधीन जारी रहेगी।

[फा. सं. 01/92/180/100/एएम16/पीसी–VI]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June, 2018

No. 10/2015-2020

Subject : Amendments in para 6.08(b) of Foreign Trade Policy 2015-20 –regd.

S.O. 2348(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in Foreign Trade Policy 2015-20:

1. Existing Para 6.08(b) reads as under:

For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication, shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.

2. Para 6.08(b) is amended to read as under:

For services, including software units, sale in DTA in any mode, including on line data communication, shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and/or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange. **However, sale in DTA in respect of services classified under Chapter Heading 9988 and 9989 under GST, but covered in LOP/para 9.31 of FTP as manufacturing of goods, will continue to be covered under para 6.08(a) above. At the time of DTA clearance, applicable GST and compensation cess as per GST classification would apply.**

Effect of this Notification: sale in DTA in respect of certain services classified under Heading 9988 and 9989 under GST is continued to be covered under para 6.08(a) of FTP.

[F. No. 01/92/180/100/AM16/PC-VI]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.11 10:40:37 +05'30'